

-: आदेश :-

संस्था में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं 2019-20 हेतु छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन किये जा रहे हैं। निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों कि निम्न समिति गठित की जाती है। जो सौपे गये उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं लगन से करेंगे एवं प्रदान किये गये कार्यों को सुचारु रूप से सम्पादित करेंगी।

क्र०सं०	नाम एवं पदनाम	सौपे गये कार्य नोडल अधिकारी
1	श्री अरुण कुमार व्या० भौतिकी	सदस्य
2	श्री बृजेश मिश्रा व्या० टेक० केमे०	तदैव
3	डा० प्रज्ञा यादव व्या० अंग्रेजी	तदैव
4	श्रीमती प्रीती गुप्ता व्या० कम्प्यूटर	तदैव
5	श्रीमती नीलम सिंह व्या० टेक० टेकना०	तदैव
6	श्री राजकुमार कर्म० अनु०	तदैव (प्रभारी)
7	श्री गिरिराज किशोर कर्म० अनु०	तदैव
8	श्री जोगेन्द्र सिंह कर्म० अनु०	तदैव (तकनीकी सहयोग)
9	श्री विपिन पाल कर्म० अनु०	

(एस०के०वर्मा)  
प्रधानाचार्य


कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय पालीटेक्निक हिण्डालपुर पिलखुआ हापुड

पृ०सं० 329-83 / समिति 2019-20

दिनांक अगस्त 27 2019

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- ✓ श्री अरुण कुमार नोडल अधिकारी संस्थागत।
- श्री महेन्द्र भास्कर लेखा लिपिक संस्थागत।
- श्री कपिल छात्र लिपिक संस्थागत।
- समस्त स्टाफ सदस्यों में चक्रीकृत एवं अनुपालनार्थ।
- नोटिस बोर्ड चस्पा हेतु।

  
(एस०के०वर्मा)  
प्रधानाचार्य

## अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण सूचना

### दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति 2019-2020


संस्थागत सभी छात्रो-छात्राओ को अवगत कराना है की वार्षिक सब 2019-2020 में चल रहे पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रो-छात्राओ को छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने की समय सारणी समाज कल्याण विभाग से जारी की जा चुकी है।

छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति हेतु अंतिम दिनांक 30/09/2019 तक आवेदन कर दें। इसके उपरान्त कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। छात्र-छात्राएं [scholarship.up.in](http://scholarship.up.in) से पंजीकरण करते हुए अपने से संबंधित समस्त विवरण पूर्ण करें। सभी प्रविष्टियों के मिलान के उपरांत त्रुटि रहित आवेदन को ही सबमिट करें। छात्रवृत्ति प्रक्रिया हेतु दिशा निर्देश अवलोकन के लिए उपलब्ध है।

दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु वे छात्र-छात्राएं आवेदन कर सकते हैं जिनके माता-पिता या अभिभावक की कुल वार्षिक आय 2.00 लाख से कम (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 2.50 लाख से कम) है।

#### विशेष :-

1. छात्रो-छात्राओ का आधार कार्ड एवं उनके माता और पिता का आधार नंबर अनिवार्य है।
2. बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक एवं कार्यशील होना चाहिए। खाता संख्या तथा आई0एफ0एस0सी0 सही भरा जाए।
3. यदि कोई छात्र-छात्राएं किसी अन्य संस्था में भी अध्ययनरत है या कहीं सरकारी /अर्धसरकारी /प्राइवेट संस्था में सेवारत है या किसी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा हो, तो संस्था में छात्रवृत्ति का पंजीकरण न करवाएँ अन्यथा आप के विरुद्ध समाजकल्याण विभाग द्वारा कानूनन कार्यवाही की जाएगी जिसका उत्तरदायित्व स्वयं छात्र / छात्राओं का होगा तथा आप छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित हो जाएंगे।
4. 75% से कम उपस्थिति होने पर आपके आवेदन का अग्रसारण नहीं किया जाएगा अथवा छात्रवृत्ति रोकी जा सकती है। जिसका उत्तरदायित्व स्वयं छात्र / छात्राओं का होगा।

  
प्रधानाचार्य  
राजकीय पाठीटेविनक  
डिप्टालपुर, पिलाखुवा  
2019